(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू राज0

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस

राजस्व वाद स. 185/2024

1. महताब पुत्र जयदयाल
2. धर्मवीर पुत्र जयदयाल
3. कर्मवीर पुत्र जयदयाल
4. राजपाल पुत्र जयदयाल
5. प्रेम पुत्री जयदयाल जाति– जाट निवासी– सैदपुर तहसील–बुहाना जिला–झुंझुनू

________आवेदकगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरीये तहसीलदार बुहाना जिला–झुंझुनू राज0

________अप्रार्थिगण

आवेदन पत्र

धारा 111, 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांक :– 02.06.2025

(1). प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम सैदपुर तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2075 2078 के खाता संख्या 102 के खसरा नम्बर 225/75 रकबा 0.30 हैक्टर खसरा नम्बर 319/81 रकबा 0.17 हैक्टर भूमि का आवेदकगण खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकोर्ड है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है !
2. यह कि आवेदकगण ने अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 225/75 रक्बा 0.30 हैक्टर खसरा न.319/81 रकबा 0.17हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान नपती दिनांक 06.06.2024 को हल्का पटवारी [illegible] सभी पडोसी खेतो के खातेदार कब्जाधारी काश्तकारो की सह[illegible] सीमाज्ञान करवाया था तथा उसी समय हल्का पटवारी ने [illegible] सीमा भी बताई थी [illegible] उसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अनुसार आवेदकगण व पडोसी खातेदार काबिज काश्त है लेकिन आवेदकगण के पडोसी खातेदार जो आवेदक गण के खेत की सीमा को कायम नही रहने देते है एवं आवेदक के खेत की मेड को तोड़ कर अपने खातेदारी कब्जेशुदा खेत में मिला कर कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नही है।

3. यह कि आवेदकगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा न. 225/75 रकबा 0.30 हैक्टर खसरा न.319/81 रकबा 0.17 हैक्टर भूमि का हल्का पटवारी शाहपुर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 के अनुसार अपनी कृषि भूमि की पत्थर गढ़ी करवाने का अधिकारी है ! आवेदकगण ने दिनांक 06.06.2024 को हल्का पटवारी से अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थर गढ़ी करने को कहा तो हल्का पटवारी ने पत्थरगढ़ी करने से इन्कार कर दिया इसलिए यह आवेदन–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।
4. यह कि आवेदकगण की कृषि भूमि के सीमाज्ञान की रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा आवेदकगण के विवादित खेत की पत्थरगढ़ी करने से इन्कार कर देने से आवेदन–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ अतः आवेदन–पत्र अन्दर मियाद सेवामे पेश है ।
5. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम सैदपुर तहसील बुहाना में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की सीमा में स्थित है इसलिए उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमानजी को ही है ।
6. यह कि आवेदन पत्र निर्धारित न्यायालय शुल्क पर श्रीमानजी की सेवामे में पेश है !
7. यह कि विवादित वाद वर्णित भूमि का राजस्व रिकोर्ड में प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के बाद में राजस्व रिकोर्ड में कोई परिवर्तन नही हुआ है।
8. यह कि आवेदक का शपथ–पत्र सलग्न आवेदन–पत्र सेवामे पेश है !

प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोश चाहा है कि –

अतः आवेदकगण की और से आवेदन–पत्र पेश कर अर्ज है कि वाके ग्राम सैदपुर तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 102 के खसरा न. 225/75 रकबा 0.30 हैक्टर खसरा न.319/81 रकबा 0.17 हैक्टर आवेदकगण की भूमि की हल्का पटवारी की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता मेड पर पत्थर गढवाने के आदेश पारित किया जाकर पत्थरगढी करवानी जानी की कृपा करे !

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थी [illegible] गई। अप्रार्थी की सम्यक् तामिल हुई। अप्रार्थी की सम्यक् तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 02.06.2025 को अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(3). प्रार्थीगण की ओर से नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, नकल आंशिक नक्शा ट्रेस, नकल छाया प्रति प्रपोजल, नकल नक्शा शीट, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 पेश किए गए।

(4). बहस सुनी गई।

(5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.06.2024 को तहसीलदार बुहाना के आदेश से पटवारी व गिरदावर हल्का से सीमाज्ञान करवाया गया था। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि सीमा का कोई विवांद नही है। केवल सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करानी है। जिसकी फर्द शामिल पत्रावली है। किसी तरह का सीमा का विवाद नहीं रहे, इसलिए न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सैदपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 102 के खसरा नम्बर 225 / 75 रकबा 0.30 हैक्टर खसरा नम्बर 319 / 81 रकबा 0.17 हैक्टर आवेदकगण की भूमि की हल्का पटवारी की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 का सीमाचिन्ह यथा पत्थरगढी उभय पक्षकार की उपस्थिति में कायम कराए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना पालना कर रिपोर्ट पेश करे।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 2/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी, एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:40 IST
Reason: SelfAttested